विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 28)

[8 अगस्त, 2019]

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1967 का 37

2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में "धारा 21" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (जक) में, "अनुसूची से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत हैं" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची से इस अधिनियम की कोई अनुसूची अभिप्रेत हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ड) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में, "जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा" शब्दों के स्थान पर "जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से या जहां अन्वेषण, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 6 के शीर्ष का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 6 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आतंकवादी संगठन और व्यष्टि" ।

धारा 35 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) में, "किसी संगठन को" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए पहली अनुसूची में किसी ऐसे संगठन को भी जोड़ सकेगी, जिसके बारे में यह पता चलता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत संकल्प में आतंकवादी संगठन है या चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम जोड़ सकेगी ; या";

(इ) खंड (ग) में, "किसी संगठन को" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि का नाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ई) खंड (घ) में, "पहली अनुसूची" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार किसी संगठन या किसी व्यष्टि के संबंध में उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकेगी जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि कोई संगठन या कोई व्यष्टि आतंकवाद में संलिप्त है ।"।

(iii) उपधारा (3) के आरंभिक भाग में, "किसी संगठन को आतंकवाद में

संलिप्त समझा जाएगा, यदि वह" शब्दों के स्थान पर, "किसी संगठन या किसी व्यष्टि को आतंकवाद में संलिप्त समझा जाएगा, यदि ऐसा संगठन या व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "किसी आतंकवादी संगठन" शब्दों के स्थान पर, "आतंकवादी संगठन या व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, "किसी संगठन को अनुसूची से" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी संगठन को पहली अनुसूची से या किसी व्यष्टि का नाम चौथी अनुसूची से" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (ख) में, "आतंकवादी संगठनों के रूप में अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "आतंकवादी संगठन के रूप में पहली अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा, या" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) चौथी अनुसूची में आतंकवादी के रूप में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने से प्रभावित व्यक्ति द्वारा,";

(iv) उपधारा (5) में, "अनुसूची से किसी संगठन को" शब्दों के स्थान पर, "पहली अनुसूची से किसी संगठन को या चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि के नाम को" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (6) में, "किसी संगठन" शब्दों के पश्चात्, "या किसी व्यष्टि" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vi) उपधारा (7) में, "अनुसूची से" शब्दों के स्थान पर, "पहली अनुसूची से या किसी व्यष्टि का नाम चौथी अनुसूची से" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की दशा में, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है ; ";

(ii) खंड (ग) में, "या खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् "या खंड (खक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 45 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (ii) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "यदि" शब्द रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, "धारा 2(1)(ड) और धारा 35 देखिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 2(1)(ड), धारा 35, धारा 36 और धारा 38(1) देखिए" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(क) मद (v) के आरंभ में, "न्यूक्लीय पदार्थ" शब्दों से पहले "समय-समय पर यथा संशोधित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (ix) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(x) न्यूक्लीय आतंकवाद के कार्यों का दमन करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (2005) ।"।

चौथी अनुसूची का जोड़ा जाना ।

12. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"चौथी अनुसूची

[धारा 35(1) और धारा 36 देखिए]

क्र.सं.	व्यष्टि का नाम

"।

राष्ट्रपति ने दि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2019 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section *5* of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.